फाइल सं0 15(6)2020/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

विनियमात्मक अनुपालन प्रभाग

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002

दिनांक 18 जून, 2020

विषय : 22 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में समाप्त हो चुके अथवा हो रहे लाइसेंसों अथवा पंजीकरणों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए छूट की अवधि को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाने के संबंध में

कोविड–19 के कारण देश में मौजूदा आपात स्थिति के दौरान खाद्य कारोबार को आसान बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने 22 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक की अवधि में समाप्त हो चुके अथवा होने वाले (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के मामलों में 1 अगस्त 2019 से 31 मई 2020 तक की अवधि में समाप्त हो चुके अथवा होने वाले) लाइसेंसों अथवा पंजीकरणों के लिए आवेदन करने हेतु खाद्य कारोबारों को आदेश सं0 15(6)2020/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई, दिनांक 13 अप्रैल 2020 **(प्रतिलिपि संलग्न)** द्वारा 30 जून 2020 तक की छूट दी थी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करते हुए लाइसेंसों/पंजीकरणों के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए उन खाद्य कारोबारों के लिए 31 जुलाई 2020 तक की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जो उपर्युक्त आदेश के तहत आते हैं और जिन खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और पंजीकरण 01 जून 2020 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में समाप्त हो चुके हैं अथवा होने वाले हैं। ऐसे सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंसों/पंजीकरणों के नवीकरण के लिए आवेदन करने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के खंड 2.1.7(4) के तहत बिना कोई विलंब शुल्क दिए 31 जुलाई 2020 तक की छूट दी जाती है। उक्त आदेश इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी है। अतः यह भविष्यकालिक प्रभाव से लागू होता है। जिन खाद्य कारोबारियों ने नवीकरण के लिए पहले ही आवेदन कर दिया हो, उन द्वारा दिए गए विलंब शुल्क की वापसी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतरिम अवधि में एफएसएसएआई लाइसेंसिंग/पंजीकरण वैध माना जाएगा।

3. यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनिम, 2006 की धारा 16(5) के तहत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्न : यथोक्त

(डॉ. शोभित जैन)
कार्यकारी निदेशक (अनुपालन कार्यनीति)
ई–मेल : ed-office@fssai.gov.in

सेवा में

1. सभी खाद्य कारोबारी
2. राज्यों/यूटी के सभी खाद्य सुरक्षा आयुक्त और सभी केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी
3. प्रमुख (आईटी) – एफएलआरएस और फॉस्कोस दोनों में आवश्यक परिवर्तन करने और एफएसएसएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. प्रमुख (आरसीडी)
2. अध्यक्ष, एफएसएसएआई के पीपीएस
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआई के निजी सचिव